



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 51/2026

हवलदार सिंह

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : भीम सेन पाण्डेय, कार्तिकेय पाण्डेय

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी., मानवेन्द्र सिंह

दिनांक 24.02.2026 को सुरक्षित

दिनांक 19.03.2026 को पारित

चैंबर में

माननीय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री भीम सेन पांडेय, राज्य प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनोज श्रीवास्तव और प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री मानवेन्द्र सिंह को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित पर्याप्त राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:

“याचिकाकर्ता की सैन्य सेवा की गणना करने के लिए प्रत्यर्थीगण को आदेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करना और वर्तमान सेवा के साथ इसे शामिल करने के बाद सिविल सेवा विनियम 526 के तहत प्रदान किए गए अनुसार निर्धारण करना, पेंशन लाभ के साथ सभी परिणामी लाभ प्रदान करना।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को 04.07.1981 को भारतीय नौसेना बल में नाविक के रूप में नियुक्त किया गया था और 31.07.1996 तक जारी रखा गया था यानी 15 साल और 27 दिनों की अवधि के लिए काम किया। याचिकाकर्ता नौसेना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बल से पेटी ऑफिसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने वर्ष 2004 में बीटीसी प्रशिक्षण पूरा किया और 25.06.2011 के आदेश के तहत प्राथमिक विद्यालय वैनरोली, ब्लॉक बेवर, जिला मैनपुरी में सहायक शिक्षक के पद पर चयनित और नियुक्त किया गया और 01.07.2011 को अपनी सेवाओं में शामिल हो गया। याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद 31.03.2025 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अधिकारियों से वेतन निर्धारण और पेंशन लाभ के उद्देश्य से 15 साल और 27 दिनों की अपनी पिछली सैन्य सेवा की गणना करने का अनुरोध कर रहा है, हालांकि आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि विनियम 527 के साथ पठित सिविल सेवा विनियम 526 में प्रावधान है कि जहां सैन्य सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति को सिविल सेवा में फिर से नियुक्त किया जाता है, उस पद का वेतन तय करने वाला सक्षम प्राधिकारी जिसमें वह पुनः नियोजित है, उसके द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा को ध्यान में रख सकता है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकार ने दिनांक 26.08.1977, 26.03.1980, 18.11.1982, 18.05.1983, 11.02.1987, 05.06.1999 और 30.04.2019 को विभिन्न शासकीय आदेश जारी किए हैं, जिसमें वेतन निर्धारण और पेंशन लाभों के प्रयोजनों के लिए पिछली सैन्य सेवा को शामिल करने की योजना प्रदान की गई है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **हंस नाथ द्विवेदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (सिविल विविध रिट याचिका संख्या 32139/2007, 2011 (3) एडीजे 735, दिनांक 21.10.2010 को निर्णीत) में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है, जिसमें इस न्यायालय ने माना कि अधिकारियों ने सैन्य सेवा के लाभ से इनकार करते हुए सिविल सेवा विनियमन 526 को गलत तरीके से पढ़ा था और सैन्य सेवा में प्रदान की गई पिछली सेवा को ध्यान में रखते हुए वेतन के निर्धारण का निर्देश दिया था। सेना और तदनुसार सभी परिणामी लाभ प्रदान करने के लिए। इसी तरह के निर्देश इस न्यायालय द्वारा **हरि चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, रिट-ए संख्या 36642/2015 में भी 23.08.2016 को जारी किए गए थे, और उक्त निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया है।

7. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की पात्रता विवादित नहीं है। यह बताया गया है कि राम वीर सिंह से संबंधित एक प्रकरण में, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी ने पहले ही दिनांक 17.07.2025 की सिफारिशें बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को भेज दी



हैं और प्रकरण विचाराधीन है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता की शिकायत समान है और प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद प्रकरण पर विचार किया जाएगा।

8. मैंने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

9. वर्तमान रिट याचिका में शामिल विवाद सिविल सेवा में उसके पुनः रोजगार पर वेतन के निर्धारण और परिणामी पेंशन लाभ प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए याचिकाकर्ता की पूर्व सैन्य सेवा की गणना से संबंधित है।

10. याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि सहायक शिक्षक के रूप में सिविल सेवा में शामिल होने से पहले भारतीय नौसेना बल में 15 साल और 27 दिन की सेवा प्रदान की थी। याचिकाकर्ता द्वारा इस तरह की सैन्य सेवा और बाद में प्रदान की गई सिविल सेवा के तथ्य पर प्रत्यर्थीगण द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

11. सिविल सेवा विनियम 526 में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति जो पूर्व में सैन्य सेवा में था, सैन्य पेंशन प्राप्त होने के बाद सिविल सेवा में रोजगार प्राप्त करता है, तो उस पद के वेतन और भत्ते को निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी जिसके पास सिविल पद के वेतन और भत्ते निर्धारित करते समय ऐसी पेंशन की राशि को ध्यान में रखने की शक्ति है। इस प्रकार विनियमन इस बात पर विचार करता है कि पिछली सैन्य सेवा को पुनः रोजगार पर निर्धारण के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।

12. उक्त विनियमन को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न सरकारी आदेशों, विशेष रूप से 18.05.1983, 11.02.1987 और 05.06.1999 के सरकारी आदेशों द्वारा स्पष्ट और पूरक किया गया है, जिसमें सिविल सेवा में पुनः नियोजित सैन्य पेंशनभोगियों के वेतन को निर्धारित करते समय सैन्य पेंशन का व्यवहार करने का तरीका निर्धारित किया गया है।

13. इस मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा **हंस नाथ द्विवेदी (पूर्वोक्त)** में पहले ही विचार किया जा चुका है, जिसमें इस न्यायालय ने उपरोक्त सरकारी आदेशों के साथ विनियमन 526 की जांच की और माना कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को सैन्य सेवा की गणना के लाभ से इनकार करते हुए विनियमन को गलत तरीके से पढ़ा था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित कि शासकीय आदेश स्पष्ट



रूप से इंगित करते हैं कि कमीशन अधिकारियों के रैंक से नीचे के सैनिकों के प्रकरण में, सैन्य पेंशन की राशि को सिविल सेवा में पुनः नियुक्ति के बाद वेतन के निर्धारण के लिए एक बाधा के रूप में नहीं माना जा सकता है और अधिकारियों को तदनुसार निर्धारण और परिणामी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

14. इसी तरह के निर्देश इस न्यायालय द्वारा **हरि चंद (पूर्वोक्त)** में भी जारी किए गए हैं, जिसमें न्यायालय ने अधिकारियों को याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई पिछली सैन्य सेवा की गणना करके वेतन वृद्धि और निर्धारण प्रदान करने का निर्देश दिया था। उक्त निर्णयों ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है और प्रत्यर्थागण को बाध्य कर दिया है।

15. वर्तमान प्रकरण में, प्रत्यर्थागण ने स्वयं निष्पक्ष रूप से कहा है कि याचिकाकर्ता की पात्रता विवादित नहीं है। एकमात्र आधार यह लिया गया है कि इसी तरह के प्रकरण में सिफारिश को अग्रेषित कर दिया गया है और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है। इस तरह का रुख याचिकाकर्ता के वैध दावे को अस्वीकार करने या स्थगित करने को उचित नहीं ठहरा सकता है। एक बार जब विधिक स्थिति तय हो जाती है और याचिकाकर्ता की पात्रता पर प्रत्यर्थागण द्वारा स्वयं विवाद नहीं किया जाता है, तो अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे कानून के अनुसार लाभ का विस्तार करें।

16. याचिकाकर्ता पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है और उसे प्रशासनिक अनुमोदन या किसी अन्य प्रकरण में इसी तरह के प्रस्ताव के लंबित होने के बहाने अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। प्रशासनिक प्रक्रियाएं वैधानिक प्रावधानों और बाध्यकारी न्यायिक मिसालों को ओवरराइड नहीं कर सकती हैं।

17. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, इसलिए, प्रत्यर्थागण को विधिक स्थिति को प्रभावी करने और याचिकाकर्ता के सेवा लाभों की गणना तदनुसार करने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि किसी अन्य प्रकरण में अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

18. तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाती है जिसमें प्रत्यर्थागण को सिविल सेवा विनियम 526 और 527 और क्षेत्र में लागू सरकारी आदेशों के अनुसार, 04.07.1981 से 31.07.1996 तक दी गई उनकी सिविल सेवा को शामिल करके याचिकाकर्ता के वेतन और पेंशन को फिर से तय करने और बकाया सहित सभी परिणामी



सेवा और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने का आदेश दिया जाता है। यदि कोई हो, तो याचिकाकर्ता को देय हो।

19. उपरोक्त कार्य पूरा किया जाएगा और याचिकाकर्ता को स्वीकार्य देय राशि का भुगतान सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद)

19 मार्च, 2026

कुलदीप